2016/00036

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 25/2016

प्रार्थी
कान्तीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति
जैन निवासी निम्बलकोट
तहसील सिणधरी, हाल
बालोतरा

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत नीम्बलकोट
जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
निम्बलकोट
2.मीठालाल पुत्र अचलचन्द
जाति जैन निवासी निम्बलकोट
3.गोदाराम पुत्र नगाराम जाति
जाट निवासी सिणधरी
4.बाबुलाल पुत्र भींयाराम जाति
सोनी निवासी निम्बलकोट
तहसील सिणधरी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.01.2003 जो ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः— 1.श्री पीताम्बरदास सोनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.श्री अम्बालाल जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.02 से 04 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 01.11.2017

1. संक्षेप में प्राथी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 मीठालाल ने सरपंच ग्राम पंचायत, निम्बलकोट के समक्ष भूमि नियमन कर पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर ग्राम पंचायत निम्बलकोट ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम नियम 157(ख) के तहत संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.01.2003 के अनुसरण में पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.01.2003 को जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया वह भूमि उसके कब्जा सुदा एंव स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने इस पट्टा विलेख की भूमि को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत निम्बलकोट से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल जोशी ने जवाब पेश कर निगरानी का पद संख्या 01 से 08 गलत होने से अस्वीकार कर, राजस्थान पंचायती राज नियमो में निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए अप्रार्थी को पुराने गृहों के नियमितिकरण के तहत पट्टा जारी होने, अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधि पूर्वक पंजीबद्ध विक्रय पत्रो से अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को हस्तांतरित होने एंव निगरानी असाधारण विलम्ब से पेश होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

4. पक्षकारान के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि प्रार्थी के पैतृक स्वामित्व एंव आधिपत्य का पूर्व पश्चिम 50,उतर दक्षिण 100 फीट जिसके पाड़ोस उतर में अचलचन्द जैन का मकान,दक्षिण में निम्बलकोट डामर सड़क,पूर्व में खाली आबादी व पुनमाराम विशनाराम का जाट एंव पश्चिम में आम रास्ता है,आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी के पिता पिछले 80 सालो से कब्जा रहा है वादग्रस्त भूखण्ड में एक कच्चा ओरा, झूफे बनाया हुआ था जो बरसात में गिर गये थे। जिसकी ताईद मतदाता सूची एंव मकान में लिये गये विधुत कनेक्शन से होती है। अप्राथी सख्या 02 प्रार्थी का चचेरा भाई है। वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 02 ने पशु वगैरा रखने के लिये मांगी थी जिसको प्रार्थी ने दी मगर इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत से मिलकर अपने नाम से पट्टा जारी करवा लिया। वादग्रस्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1196 के नियम 157(2) के अधीन अधिकतम 550 वर्ग गज का पट्टा जारी किया जा सकता है जिस पर आवेदक का 40 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा हो परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने मिलीभगत कर बिना कब्जे के आवंटन सीमा से अधिक क्षेत्रफल 555.58 वर्ग गज का अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी किया है, जो नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया कि ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक रूप से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है,स्थल निरीक्षण एंव नक्शा फीस की राशि जमा नहीं कराई है। विधि सम्मत आपति नोटिस जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है जबकि नियम 157(1)(ख) के तहत पुराने आवास का नियमितिकरण करने के उदेद्श्य से नियम 157(ख) में जारी करने का प्रावधान है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने होने के उपरान्त ग्राम पंचायत निम्बलकोट ने अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी किया गया है। इसलिये प्रार्थी की भूमि पर जारी जारी पट्टा गलत एंव नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जाए।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का पुश्तैनी मकान बना हुआ था जिस पर पिछले 340 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 02 व उसके पिता का भौतिक कब्जा था। अप्रार्थी संख्या 02 को जो भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, वह अप्रार्थी के पुराने कब्जे का है। अप्रार्थी मीठालाल द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुद प्लाट का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत निम्बलकोट के समक्ष आवेदन पत्र मय नक्शा पेश किया था। जिस पर पत्रावली संख्या कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई थी। यदि प्रार्थी की सम्पति होती तो उसी समय उजरदारी पेश करते परन्तु कोई उजरदारी पेश नहीं की है। मौका कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी का इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व भी हासिल नहीं है। जिससे प्रार्थी निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उसका विक्रय पत्र ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया है। जिससे अप्रार्थी को पट्टा की भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 02 मीठालाल ने पट्टे से प्राप्त अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान विक्रय किया है। उनका यह भी कथन हैं कि विवेच्च पट्टा नियम 157(ख) के प्रावधान अनुसार 200/– नियमन राशि कर जारी किया गया है नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने की सीमा निधारित नहीं है। प्रार्थी ने यह निगरानी असाधारण विलम्ब से पेश की है। मियाद को क्षमा करने हेतु लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने citiation–2012(2) DNJ (Raj)पेज 602 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 7282/2005 रमेशचन्द बनाम रामचरणसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2012 एंव citiation–2008(2) DNJ (Raj) पेज 735 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 5717/2003 अब्दुल लतीफ बनाम राज्य वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2008 का दृष्टांत पेश करते हुए असाधारण विलम्ब से निगरानी पेश करने,देरी से निगरानी पेश करने का संतोषजनक कारण नहीं दर्शाने से प्राथी की निगरानी निराधार,गलत एंव विधि विरूद्ध होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत निम्बलकोट से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने निगरानी में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है,जिस पर प्रार्थी एंव उसके परिवार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का पुराना कब्जा है जिसकी ताईद में उसके परिवार का मतदाता सूची में नाम होने एंव विधुत कनेक्शन लेने के आवेदन पत्र से होती है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मतदाता सूची के अवलोकन से मकान होने का उल्लेख नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध विधुत कनेक्शन के आवेदन की छाया प्रति के अवलोकन से विधुत कनेक्शन अशोक कुमार पुत्र कांतीलाल के नाम से आवेदित है। इस विधुत कनेक्शन के आवेदन से प्रार्थी के कब्जे को प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता क्योकि विधुत कनेक्शन होने के सम्बन्ध में कोई बिल आदि नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्राथी को पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत अधिकतम आवंटन सीमा से अधिक 555.58 वगर गज का पटटा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में नियम 157 का अवलोकन किया गया।नियम 157 पुरान गृहों का विनियमितिकरण के अन्तर्गत जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100/–' एंव (ख) इन नियमो के लागू होने कीतिथि को 50 वर्षो केदौरान बने पुराने मकान हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 12 के अवलोकन से यह पट्टा नियम 157 (ख) के अन्तर्गत 200/–वसूल कर जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्य 02 के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 मीठालाल ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत निम्बलकोट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। जिस पर पत्रावली कायम की गई है। दिनांक 05.07.2002 को मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 20.07.2002 को नोटिस जारी किया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् नियम 157(ख)पुराने गृहों का नियमितिकरण के तहत 200/–वसूल कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत निम्बलकोट ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.01. 2003जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपपंजीयन कार्यालय सिणधरी में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 02 का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नही हैं। प्रार्थी पक्ष निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर